

प्रेषक,

उमेश कुमार ,  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक  
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,  
गोमतीनगर लखनऊ ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 08 जनवरी,2018

विषय- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में नेटवर्किंग एवं वाई-फाई सुविधा संस्थित किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जे0टी0आर0आई0/ने.वा.फा./विविध-340/17/1955, दिनांक 22-12-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में नेटवर्किंग एवं वाई-फाई सुविधा संस्थित किये जाने हेतु आगणन रु0104.27 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ **रु0104.27 लाख (रूपये एक करोड़ चार लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- चूंकि प्रश्नगत कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,कार्यदायी संस्था नामित है । अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके परियोजना प्रबन्धक(वि0) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हाईकोर्ट विद्युत इकाई- लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमती नगर लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।
- 2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
- 3- निर्माण कार्य आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों के अनुसार कराया जायेगा,। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
- 4- कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता तथा कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की जिम्मेदारी जनपद न्यायाधीश/ कार्यदायी संस्था की होगी ।
- 5- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- 6- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- वाई-फाई नेटवर्किंग के मानको के सम्बन्ध में विशेषज्ञ संस्था के रूप में एनआईसी/यूपीओ डेस्क/ यूपीओ एलसी/आईटी इलेक्ट्रानिक्स विभाग में से किसी संस्था से उसकी विशिष्टियों को " वेट " (VET) करा लेंगे तथा उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि क्रय किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

10- उपकरण/सामग्री के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि कि सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि से कोई अन्य उपकरण/सामग्री का क्रय न किया जाय। नेटवर्किंग एवं वाई-फाई सुविधा संस्थित किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के लिए विचलन पर स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

12- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-00-800-अन्य व्यय- 03-न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान - 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, के नामे डाला जायेगा तथा इसी अनुदान सं0- के लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-105-सिविल और सेशनस न्यायालय-14-चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन-1405-न्यायिक अधिकारियों,मध्यस्थों एवं अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-25/दस-2018, दिनांक 05 जनवरी,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**

**(उमेश कुमार)**

**प्रमुख सचिव**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**सं0- 07 /2018/18(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निदेशक, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
- 6- परियोजना प्रबन्धक(वि0) 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हाईकोर्ट विद्युत इकाई-लखनऊ ।
- 7- वित्त ई- 12/ सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

( राजेश पति त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।